

मुकदमों का विवरण

इलावरासन

वी.

पुलिस और ओ. आर. एस. का अधीक्षक। (आपराधिक अपील सं.002752-002752 2023 का))
28 अगस्त, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अधिवक्ताओं के आचरण के संबंध में मुद्दा उठा कि क्या वे आत्मसम्मान विवाहों को प्रमाणित करने में सक्षम हैं।7 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का ए; और क्या सुयम्मरियाथाई विवाह-आत्मसम्मान विवाह को गोपनीयता में किया जा सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, **1955 -एस. 7 ए (तमिलनाडु में संशोधित और लागू)-**
सुयामरियाताई और तीर्थरुथ विवाहों के संबंध में विशेष प्रावधान-स्वयं विवाह का सम्मान करते हैं-अधिवक्ता, यदि विवाहों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम हैं।7 ए-अपीलार्थी ने एस के अनुसार एक लड़की से शादी की।7 ए और वही अधिवक्ताओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के तत्वावधान में संपन्न किया गया था-आरोप कि लड़की को उसके माता-पिता द्वारा उसकी इच्छा के खिलाफ हिरासत में लिया गया था या रोक दिया गया था-अपीलार्थी द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-शुद्धता:

आयोजित किया गया:यह मानना गलत है कि इस तरह के विवाह के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता होती है और यह कि आसपास के कुछ अजनबियों के साथ गुप्त रूप से आयोजित विवाह, चाहे वह सुयम्मरियाताई रूप हो, अनुष्ठान के बराबर नहीं होगा।7 और 7-ए-एक सार्वजनिक घोषणा की शर्त को अधिरोपित करना, जो एस में अनुपस्थित है।7 ए, मूर्ति के व्यापक महत्व को कम करेगा और यह भी अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन होगा-इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ता विवाह को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं, हालांकि, अदालत के अधिकारी होने के नाते अधिवक्ताओं को विवाह करने का कार्य नहीं करना चाहिए या स्वेच्छा से विवाह करना चाहिए, लेकिन गवाह के रूप में कार्य कर सकते हैं-तथ्यों पर, क्योंकि लड़की अपनी इच्छा के साथ अपीलकर्ता के साथ रहना चाहती है, इस प्रकार, प्रत्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है कि वह अपीलकर्ता में शामिल हो जाए-भारत का संविधान-अनुच्छेद 21।

325

[पैरा 6,8] 326 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

न्यायिक सूचना-विवाह समारोह में अधिवक्ताओं की भूमिका:

आयोजित किया गया:अधिवक्ताओं या वकीलों के पास कई क्षमताएँ होती हैं-एक अदालत का अधिकारी होने के नाते, इस प्रकार, वकील या अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए, विवाह को संपन्न करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए या स्वेच्छा से कार्य नहीं करना चाहिए-इसके परिणामस्वरूप अधिवक्ता कक्ष या अधिकारी वैवाहिक प्रतिष्ठान बन जाते हैं-हालाँकि, इच्छुक पति या पत्नी के मित्र या रिश्तेदार के रूप में वे गवाह के रूप में कार्य कर सकते हैं।[पैरा 9]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

एस. बालकृष्णन पांडियन बनाम पुलिस निरीक्षक 2014 (7) मैडएलजे
651 – अस्वीकृत।

एस. नागलिंगम बनाम शिवगामी (2001) 7 एस. सी. सी. 487; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 5 एस. सी. सी. 475; शफी एन. जहां बनाम अशोकन के. एम., (2018) 16 एस. सी. सी. 368; लक्ष्मीबाई चंदरगी बी. वी.कर्नाटक राज्य (2021) 3 एससीसी 360
-

संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2752।

2023 के एच. सी. पी. एम. डी. No.560 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 05.05.2023 से।

रूप:

ए. वेलन, सुश्री नवप्रीत कौर, मृत्युंजय पाठक, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

1. पक्षकारों की सहमति से विद्वानों की सलाह सुनी।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही को प्राथमिकता दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 327 के अनुसार मथित्रा से शादी की थी।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए और इसे अधिवक्ताओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के तत्वावधान में संपन्न किया गया था। उसने आरोप लगाया था कि उसे जबरन ले जाया गया था, उसके मामा से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद उसे उसके माता-पिता के कहने पर रोक दिया गया था। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि मथित्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लिया गया था या रोक दिया गया था। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और अधिवक्ताओं के आचरण के प्रतिकूल टिप्पणियों को दर्ज करते हुए कहा कि वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (तमिलनाडु में संशोधित और लागू) की धारा 7 ए के तहत विवाह को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं। विवादित आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 04.08.2023 के आदेश द्वारा निर्देश दिया था कि संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कथित पीड़ित मथित्र का बयान दर्ज करने की सुविधा प्रदान करे। निर्देशों के अनुसार, संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायाधीश, रामनाथपुरम ने प्रक्रिया को सुगम बनाया। सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रामनाथपुरम, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 12.08.2023 पत्र के माध्यम से भेजी गई थी। सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है:

“मैं विनम्रता से कहता हूँ कि मैंने महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता से कथित पीड़ित मथित्र से पूछताछ की। मेरी जाँच से पता चलता है कि, कथित पीड़ित मथित्र ने एक इलावरासन एस/ओ से शादी की थी। वेल्हायदुराई, अपनी मर्जी से और वह अपनी मर्जी से मदुरै, ओथकदाई, अनुबुनगर में उक्त इलावरासन के साथ रह रही है। आगे मेरी जाँच से पता चलता है कि, उसकी शादी पहले उसके मामा थिरु से हुई थी। विजयन सोलह साल की उम्र में, उनकी इच्छा के खिलाफ थे और उन्हें उनके माता-पिता और रिश्तेदारों द्वारा उनके साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। अब कथित पीड़ित इलावरसन के साथ डोर नं. में बाद के आवास पर रहना चाहता है। 221, नॉर्थ स्ट्रीट, मोरपन्नाई, उप्पुर, रामनाथपुरम जिला।”

4. धारा 164 Cr.P.C के तहत सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा दर्ज मथित्रा के बयान की एक प्रति के साथ-साथ अनुवादित प्रति भी रिकॉर्ड में रखी गई है। यह रिपोर्ट की पुष्टि करता है। इन घटनाक्रमों के आलोक में, न्यायालय को संतोष है कि मथित्रा, वास्तव में, अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रहने की इच्छा रखती है। उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे वास्तव में अपीलार्थी के साथ शामिल हों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

5. उपरोक्त कार्यवाहियां इन कार्यवाहियों के अनुकूल होतीं। हालाँकि, यह न्यायालय नोटिस करता है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में-"एस. बालकृष्णन पांडियन बनाम पुलिस निरीक्षक" 2014 (7) मैडएलजे 651 के रूप में रिपोर्ट की गई एक समन्वित पीठ के पिछले फैसले का पालन किया।

6. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष रूप से धारा 7 ए पर ध्यान दिया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के अन्य प्रावधानों में उल्लिखित प्रपत्रों के संदर्भ में विवाह को संपन्न करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था और नए जोड़े गए प्रावधान (धारा 7 ए) के तहत एक विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। उस प्रावधान में केवल इच्छुक पति-पत्नी को एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में लेने और प्रतीकात्मक रूप से एक-दूसरे को माला पहनाने और "थाली" बांधने की अपनी इच्छा घोषित करने और व्यक्त करने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने इच्छुक पति/पत्नी द्वारा "रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में" घोषणा की प्रक्रिया की व्याख्या की। उच्च न्यायालय की राय थी कि इस तरह के विवाहों में एक सार्वजनिक घोषणा शामिल है:

“हम अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट हैं कि विवाह के सुयम्मरियाथाई/सीतिरुथ रूप के नायकों ने भी गुप्त रूप से विवाह की कल्पना नहीं की थी। उत्सव के साथ विवाह करने का विचार सार्वजनिक रूप से पार्टियों की वैवाहिक स्थिति की घोषणा करना है। यहां तक कि थांथाई पेरियार भी सार्वजनिक रूप से विवाह के सुयामरियाथाई रूप का संचालन करते थे ताकि दुनिया जोड़ों की स्थिति को पहचान सके। इसलिए, विवाह का उत्सव विवाह के रूप के विरोधी नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि आसपास के कुछ अजनबियों के साथ गुप्त रूप से किया गया विवाह, चाहे वह सुयम्मरियाथाई रूप हो, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 और 7-ए के तहत आवश्यक नहीं होगा।

7. इस न्यायालय ने "एस. नागलिंगम बनाम शिवगामी" (2001) 7 एस. सी. सी. 487 में तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में अंतःस्थापित धारा 7 ए को निम्नानुसार घोषित करते हुए बरकरार रखा था:

“धारा 7-ए दो हिंदुओं के बीच रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न होने वाले किसी भी विवाह पर लागू होती है। इस प्रावधान का मुख्य जोर यह है कि एक वैध विवाह के प्रदर्शन के लिए एक पुजारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पार्टियाँ रिश्तेदारों या दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शादी कर सकती हैं और प्रत्येक 329

इलावरासन बनाम द सुपरिनडेंट ऑफ पुलिस एंड ऑर्स। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 330

विवाह के लिए पक्षकार को पक्षकारों द्वारा समझी गई भाषा में घोषणा करनी चाहिए कि प्रत्येक पक्ष दूसरे को अपनी पत्नी या, जैसा भी मामला हो, उसके पति के रूप में लेता है, और विवाह एक साधारण समारोह द्वारा पूरा किया जाएगा जिसमें विवाह के पक्षकारों को एक-दूसरे को माला पहनाई होगी या दूसरे के किसी भी अंग पर अंगूठी लगानी होगी या थाली बांधनी होगी। इनमें से कोई भी समारोह, अर्थात् एक-दूसरे को माला पहनना या दूसरे के किसी भी अंग पर अंगूठी पहनना या थाली बांधना एक वैध विवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। धारा 7-ए की उप-

धारा (2) (ए), विनिर्दिष्ट रूप से कहती है कि धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, हिंदू विवाह (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1967 के प्रारंभ के बाद जिन सभी विवाहों पर यह प्रावधान लागू होता है और संपन्न होता है, वे कानून में अच्छे और वैध होंगे। उप-धारा (2) (बी) में आगे कहा गया है कि धारा 7 में या हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम या व्याख्या में या हिंदू विवाह (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1967 के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू उस कानून के हिस्से के रूप में किसी भी प्रथा या उपयोग में या ऐसे प्रारंभ से तुरंत पहले लागू किसी अन्य कानून में या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, सभी विवाह जिन पर यह धारा लागू होती है, ऐसे प्रारंभ से पहले किसी भी समय संपन्न माना जाएगा। एकमात्र निषेध यह है कि यह विवाह धारा 7-ए की उप-धारा (3) के अधीन होगा। हमें धारा 7-ए (3) के दायरे पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।”

8. एस. बालकृष्णन पांडियन (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार, इस न्यायालय की राय में गलत है। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक विवाह के लिए एक सार्वजनिक समारोह या घोषणा की आवश्यकता होती है। इस न्यायालय की राय में, ऐसा दृष्टिकोण सरल है क्योंकि अक्सर माता-पिता या संबंध समूहों, या जाति/सामुदायिक संस्थानों के बीच दबाव के कारण, विवाह करने का इरादा रखने वाले जोड़े, इस तरह के विरोध के कारणों से, ऐसी सार्वजनिक घोषणा करने या देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन को खतरा हो सकता है या कम से कम उनकी शारीरिक अखंडता को खतरा हो सकता है या सबसे बुरी बात यह है कि एक को दूसरे से जबरन अलग किया जा सकता है। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि दो व्यक्तियों पर अन्य दबाव डाला जा रहा है, जो अन्यथा वयस्क हैं और जिन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया है। की शर्त को अधिरोपित करने के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एक सार्वजनिक घोषणा, जो धारा 7 ए 1 में अनुपस्थित है, इस न्यायालय की राय में, यह न केवल मूर्ति के अन्यथा व्यापक आयात को कम कर रहा है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का भी उल्लंघन होगा।

1 7 उ. सुयामरियाथाई और तीर्थरुथ विवाहों के संबंध में विशेष प्रावधान।-

(1) यह धारा किसी भी दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह पर लागू होगी, चाहे वह सुयामरियाथाई विवाह हो या तीर्थरुथ विवाह या किसी अन्य नाम से, जो रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है -

(क) विवाह के प्रत्येक पक्ष द्वारा पक्षकारों द्वारा समझी गई किसी भी भाषा में यह घोषणा करते हुए कि प्रत्येक पक्ष दूसरे को अपनी पत्नी या, जैसा भी मामला हो, उसका पति मानता है; या (ख) विवाह के प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे को माला पहनाते हुए या दूसरे के किसी भी अंग पर अंगूठी लगाते हुए; या

((ग) थाली बांधकर।

(2) (क) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, हिंदू विवाह [तमिलनाडु] संशोधन अधिनियम, 1967 के प्रारंभ के बाद जिन सभी विवाहों को यह धारा लागू होती है, वे कानून में अच्छे और वैध होंगे।

(ख) धारा 7 में या हिंदू विधि के किसी पाठ, नियम या व्याख्या में या हिंदू विवाह ([तमिलनाडु] संशोधन) अधिनियम, 1967 के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू उस विधि के भाग के रूप में किसी प्रथा या उपयोग में या ऐसे प्रारंभ से तुरंत पहले या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में, लेकिन उप-धारा (3) के अधीन रहते हुए, उन सभी विवाहों को, जिन पर यह धारा लागू होती है, ऐसे प्रारंभ से पहले किसी भी समय संपन्न किया जाता है, क्रमशः ऐसे प्रत्येक विवाह के अनुष्ठान की तारीख को और उससे प्रभावी होने के साथ, कानून में अच्छा और वैध माना जाएगा।

(3) इस धारा में निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा-(ए) उप-धारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी भी विवाह को वैध बनाता है, यदि हिंदू विवाह (तमिलनाडु) संशोधन) अधिनियम, 1967 के प्रारंभ से पहले-(i) ऐसा विवाह किसी प्रथा या कानून के तहत भंग कर दिया गया है; या

((ख) जो महिलाएँ इस प्रकार के विवाह में एक पक्ष थीं, उन्होंने, चाहे दूसरे पक्ष के जीवन के दौरान या बाद में, कानूनी रूप से किसी अन्य से विवाह किया हो; या

(ख) ऐसे प्रारंभ से पहले किसी भी समय दो हिंदुओं के बीच संपन्न विवाह को अमान्य कर देगा, यदि ऐसा विवाह उस समय वैध था; या

(ग) ऐसे प्रारंभ से पहले किसी भी समय संपन्न किए गए किसी भी दो हिंदुओं के बीच विवाह को वैध ठहराएँ, यदि ऐसा विवाह उस समय किसी अन्य आधार पर अमान्य था, इसके अलावा कि यह किसी भी पक्ष के प्रथागत संस्कारों और समारोहों के अनुसार नहीं किया गया था:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को ऐसे प्रारंभ से पहले उसके द्वारा किए गए या किए जाने में चूक के कारण किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा।

(4) उप-धारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट विवाह के पक्षकारों की ऐसी शादी से पैदा हुई कोई भी संतान उनकी वैध संतान मानी जाएगी:

बशर्ते कि उप-धारा (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) के तहत आने वाले मामले में, ऐसे बच्चे का जन्म विवाह के विघटन की तारीख से पहले या, जैसा भी मामला हो, उक्त उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट विवाह के दूसरे की तारीख से पहले हुआ था।

331

इलावरासन बनाम द सुपरिन्डेंट ऑफ पुलिस एंड ऑर्स। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भारत। इस न्यायालय ने एक से अधिक निर्णयों (लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 5 एस. सी. सी. 475, शफी एन. जहां बनाम अशोकन के. एम., (2018) 16 एस. सी. सी. 368, और लक्ष्मीबाई चंदरगी बी. वी. कर्नाटक राज्य (2021) 3 एस. सी. सी. 360} व्यक्तियों का स्वतंत्र विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार और यह कि यह जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इसलिए यह माना जाता है कि एस. बालकृष्णन पांडियन (सुप्रा) में व्यक्त विचार गलत है। तदनुसार, इसे नागलिंगम (ऊपर) में खारिज कर दिया गया है।

9. न्यायालय अधिवक्ताओं की भूमिका के संबंध में विवादित आदेश द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान देता है। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं पूरी तरह से निराधार नहीं हैं। अधिवक्ताओं या वकीलों के पास कई क्षमताएँ होती हैं-जिनमें से एक न्यायालय के अधिकारी होते हैं। इसलिए,

उन्हें वकील या अधिवक्ता के रूप में या अधिवक्ता के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए, विवाह को संपन्न करने का कार्य नहीं करना चाहिए या स्वेच्छा से कार्य नहीं करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अधिवक्ता कक्ष या अधिकारी वैवाहिक "प्रतिष्ठान" बन सकते हैं-एक ऐसा परिणाम जिसका कभी इरादा नहीं था-या शायद कानून द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था। हालाँकि, इच्छुक पति या पत्नी के मित्र या रिश्तेदारों के रूप में उनकी क्षमता में, गवाह के रूप में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन